286 256

Government of Jharkhand

Receipt of Online Payment of Stamp Duty

NON JUDICIAL

Receipt Number : df82fb11e9424da40775
Receipt Date : 25-Feb-2023 10:10:09 pm
Receipt Amount : 200000/-
Amount In Words : Two Lakh Rupees Only
Token Number : 202300025725
Office Name : SRO - Deoghar
Document Type : Sale Deed
Payee Name : AMIT KUMAR (Vendee)
GRN Number : 2315969201

निबंधन अधिनियम ......1908......... के अधीन और छोटानागपुर/संथालपरगना टेनेन्सी एक्ट की धारा ....21.......... के अधीन भी ग्राह्य है और इण्डियन स्टाम्प एक्ट 1899 की अनुसूचि A(1) के खण्ड ....23........ के अधीन यथावत स्टाम्प सहित (या स्टाम्प शुल्क के विमुक्त या स्टाम्प शुल्क अपेक्षित नहीं)।

For Office Use :- P.S Deoghar Area 3.44 Dec. Stamp 2,00,000/-
Sale 49,86,000/-
feepaid
A1 - 149580
L1 - 5
PR - 2

निबंधन पदाधिकारी। 1/3/2023

इस रसीद का उपयोग केवल एक ही दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु ही किया जा सकता है। पुन: प्रिन्ट कर अथवा फोटो कॉपी आदि द्वारा इसी रसीद का दुसरे दस्तावेज पर मुद्रांक शुल्क का भुगतान के प्रमाण हेतु उपयोग भारतीय मुद्रांक अधिनियम, 1899 की धारा 62 अन्तर्गत दण्डनीय अपराध है।

ATTESTED

बिक्रय पत्र

बिक्रेता :–1.श्री पप्पु सिंह, पिता स्वर्गीय हरि मोहन सिंह।
2.श्रीमती चन्दा सिंह, पिता जगदीश प्रसाद चौधरी, पति श्री पप्पु सिंह।
धर्म हिन्दू, वर्ग–सामान्य, पेशा व्यवसाय, साकिनान नया बस्ती, राधानगर रोड, पत्रालय राधानगर रोड, थाना हीरापुर बर्णपुर, पीन कोड न0 713325, सबडिविजन व सबरजिष्ट्री आसनसोल, जिला बर्द्वमान, पश्चिम बंगाल, राष्ट्रीयता :–भारतीय।
1.आधार न0 **XXXX XXXX** 9118 2.आधार न0 **XXXX XXXX** 3614

क्रेता :– श्री अमित कुमार, पिता ललित कुमार राय, दादा स्वर्गीय हरिवंश राय, धर्म हिन्दू, वर्ग–सामान्य, पेशा व्यवसाय, साकिन सिंहजोरी, पत्रालय पुनासी, थाना जसीडीह, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व जिला देवघर, राज्य–झारखण्ड, राष्ट्रीयता :–भारतीय।
आधार न0 **XXXX XXXX** 6235

लेख्य प्रकार :–बिक्रय पत्र।

बिक्रीत सम्पत्ति की कीमत :–मो0 45,00,000/पैंतालीस लाख रूपये मात्र।

ATTESTED
REGD NO. 225/04

[redacted]

Attested By
M.K. [illegible]
Adv

श्री पप्पु सिंह .... पिता नाम श्री/स्व० हरि मोहन सिंह
.... निवास स्थान मयावती, राधानगर रोड
जाति सामान्य ... व्यवसाय ... जो लेखपत्र के ... [illegible]
या अवर [illegible] मुख्तारनामा
संख्या .... [illegible] पर चौपियों
मे से कुछ भी .... [illegible] (अदृष्टि) है ने
ता० 17/3/2023 ... [illegible] से 10 (4-1)
(समय) जिला में निबंधन [illegible] ।

17.03.2023

उपस्थापक का हस्ताक्षर

निबंधन पदा० का हस्ताक्षर

Chanda Singh

<u>**बिक्रीत सम्पत्ति का विवरण**</u> :–निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित है।

विदित हो कि जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामील मौजा सलौनाटॉड़, मुहल्ला विलियम्स टाउन के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 278 का अंश रकवा स्थानीय रोहिणी ईस्टेट के माप से 10 (दस) कट्ठा, जिसका वार्षिक खजाना 10/–रूपये, दिनांक 31/03/1953 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 01, जिल्द संख्या 4, पृष्ठ संख्या 74 से 77 में निबंधित जिसकी संख्या 354 वर्ष 1953 ईस्वी के द्वारा, त्रिगुनाकान्त राय चौधरी पिता ज्ञान प्रसन्न राय चौधरी, साकिन व थाना देवघर, जिला संथाल परगना, वर्तमान जिला देवघर के निवासी के नाम से, श्रीमती जुथिका रानी बनर्जी से खरीद किया गया।

उक्त खरीदगी सम्पत्ति में उपर्युक्त त्रिगुनाकान्त राय चौधरी, चारू कान्त राय चौधरी तथा दिलीप कुमार राय चौधरी का समान रकम लगा और तीनों उक्त खरीदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर इजमाल रूप में भोग दखल करते रहे। उपर्युक्त त्रिगुनाकान्त राय चौधरी व चारू कान्त राय चौधरी दोनों आपस में सहोदर भाई तथा दिलीप कुमार राय चौधरी उनलोगों के अपने भतीजा, ने दिनांक 07/07/1994 ईस्वी में एक कीता घोषणा पत्र के द्वारा उक्त सम्पत्ति में अपने अपने समान अंशों के मालिक व इजमाल रूप में भोग दखल करते हुए उपर्युक्त त्रिगुनाकान्त राय चौधरी दिनांक 12/11/1997 ईस्वी में अविवाहित स्वर्गवास कर गये। उक्त सम्पत्ति के अन्दर रकवा एक कट्ठा जमीन पहले ही बिक्री हो गया। उपर्युक्त त्रिगुनाकान्त राय चोधरी के स्वर्गवास कर जाने पर अवशेष रकवा 9 (नौ) कट्ठा के अन्दर उनके अंश की एक तृतीयांश सम्पत्ति के मालिक व अधिकारी उनके सहोदर भ्राता चारू कान्त राय चौधरी होकर उक्त सम्पत्ति के अन्दर दो तृतीयांश यानि (6) छः कट्ठा मय मकानादि के मालिक व निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार हुए।

उपर्युक्त चारु कान्त राय चौधरी ने दिनांक 9/2/1998 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता वसीयत नामा दलील पुस्तक संख्या III, सिलसिलेवार न0 310, जिसकी संख्या III-7 वर्ष 1998 ईस्वी के द्वारा, उक्त सम्पत्ति मौजा सलौनाटाड़ महल्ला विलियम्स टाउन के अन्दर बसौड़ी सत्व की जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 278 का अंश, रकवा स्थानीय रोहिणी ईस्टेट के माप से 9 (नौ) कट्ठा, मय उसके अंश पर बना मकान, अन्दर जमाबन्दी न0 26 नया, जिसका वार्शिक खजाना 9/–रुपये, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, होल्डिग न0 292, मध्ये रकवा 6 (छः) कट्ठा, मय उसके अंश में मकान आदि के बावत अपने भतीजा दीपायण राय चौधरी व दिपांजन राय चौधरी के हक में वसीयत कर दिया, उक्त वसीयत में उपर्युक्त चारु कान्त राय चौधरी ने दीपायंण राय चौधरी को (Executor) उत्तरसाधक नियूक्त किया।

ATTESTED
8/24/8/22
(REGD No. 229/04) JHARKHAND

उपर्युक्त चारु कान्त राय चौधरी दिनांक 12/1/2003 ईस्वी में स्वर्गवास कर जाने पर उपर्युक्त दीपायण राय चौधरी ने (Executor) उत्तरसाधक के हैसियत से उक्त वसीयत के प्रोबेट के के लिए माननीय जिला न्यायाधीश, देवघर के न्यायालय में आवेदन किये। माननीय जिला न्यायाधीश, देवघर के प्रोबेट केश न0 3/2006 में, दिनांक 25/10/2010 ईस्वी के आदेशानुसार उक्त वसीयत स्वीकृत किया गया तथा दिनांक 24/9/2011 ईस्वी के आदेशानुसार उक्त वसीयत का प्रोबेट मंजुर कर संपुष्ट किया गया।

उक्त वसीयत के अनुसार उपर्युक्त दीपायण राय चौधरी व दिपांजन राय चौधरी उक्त सम्पत्ति रकवा 6 (छः) कट्ठा मय उसके अंश मे मकान आदि के मालिक होकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामान्तरण वाद संख्या 327/2012–2013 के द्वारा दिनांक 4/7/2012 ईस्वी के आदेशानुसार राजस्व विभाग के पंजी II में अपना नाम दर्ज करवा कर जमाबन्दी न0 26 नया अंश (Vol–13, Page--18) के बावत सालाना खजाना 50/–रुपये अलावे शेष वगैरह आदाय कर बहैसियत पूर्ण मालिक निर्विवाद रूप से भोगवान व दखलकार रहते हुए दिनांक 22/04/2013 ईस्वी में निबंधन कार्यालय देवघर से निबंधित एक कीता बिक्रय पत्र पुस्तक संख्या 1, जिल्द संख्या 84, पृष्ठ संख्या 571 से 660 में निबंधित जिसकी सिलसिलेवार संख्या 821, दस्तावेज संख्या 724 वर्ष 2013 ईस्वी के द्वारा उक्त मौजा सलौनाटॉड, मुहल्ला विलियम्स टाउऩ के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 278 का अंश, रकवा स्थानीय रोहिणी ईस्टेट के माप से 6 (छः) कट्ठा, यानि 15,186 वर्गफीट (पन्द्रह हजार एक सौ छियासी वर्गफीट) यानि 34.862 डिसमिल, तदुपरिस्थित 900 वर्गफीट पर बना एक तल्ला पक्का मकान, अन्दर जमाबंदी न0 26 नया अंश, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, देवघर नगर निगम वार्ड न0 4, होल्डिंग न0 292, बमोजीव उक्त दस्तावेज के संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश, मय कुल हक हकूक उपर्युक्त हम बिक्रेता के पास बिक्री कर दिया।

उपर्युक्त हम बिक्रेता उक्त खरिदगी सम्पत्ति पर दखल कब्जा लेकर तथा अंचल कार्यालय देवघर में नामतान्तरण वाद संख्या 553/2013–2014 ईस्वी के द्वारा दिनांक 03/09/2013 ईस्वी के आदेशानुसार अपना नाम दर्ज करवाकर सालाना खजाना आदाय करते हुए आजतक निर्विवाद रुप से भोगवान व दखलकार हैं

अंचल अधिकारी का कार्यालय देवघर ज्ञापांक 1469/रा0 दिनांक 18/11/2022 ईस्वी के द्वारा भूमि हस्तान्तरणीय व सत्यापित है।

ATTESTED
NOTARY (REGD NO. 225/04
OF JHARKHAND
(INDIA)

अभी हम बिक्रेता को अपने–अपने आवश्यक जरूरी सांसारिक खर्च के लिये रूपये की सख्त जरूरत है, **इसलिये उक्त खरिदगी सम्पत्ति** के अन्दर रकवा 1,500 वर्गफीट, जिसका **पूर्ण विवरण निम्न अनुसूची सम्पत्ति** में वर्णित है, को बिक्री करने का ऐलान किये।

आप क्रेता इसे अभी के बाजार भाव की दर से अधिकतम कीमत पर खरीद करने की इच्छा जाहिर करने पर उभय पक्ष की मंजूरी से इसकी कीमत कुल 45,00,000/–पैंतालीस रूपये कायम हुए।

अतएव आज तारीख हम बिक्रेता, आप क्रेता से कीमत के कुल 45,00,000/–पैंतालीस लाख रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर निम्न अनुसूची सम्पत्ति में वर्णित सम्पत्ति जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा अंश में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक, आप क्रेता के पास बिक्री कर दिये और आपके दखल कब्जे में दे दियें।

अब आप क्रेता, हम बिक्रेता के सत्व व दखल से सत्ववान व दखलकार होकर मय अपने **उत्तराधिकारी मय वारिसान व स्थलाभिषिक्तगण** क्रम से भोग, दखल, दान, बिक्री, मौरगेज व नाना प्रकार के वारदेन व हस्तान्तरण आदि करने के अधिकारी होकर स्वेच्छा पूर्वक भोग दखल करतें रहें, इसमें हम बिक्रेता मय वारिसान को किसी भी तरह की उज्र आपत्ति नहीं होगी न कोई कर सकेगा। अगर कोई करे तो वह न्यायालय से निरस्त होगा।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के हम बिक्रेता ही मालिक हैं, इसमें दूसरा कोई अंशदार या दखलकार नही है व इसके पहले निम्न सम्पत्ति को किसी के पास किसी तरह का दाय संयूक्त या हस्तान्तरण आदि नहीं किये हैं, हर तरह से साफ व पाक है।

निम्न बिक्रीत सम्पत्ति के सम्बन्ध में अगर भविष्य में, हम बिक्रेता मय वारिसान को कुछ लिखना या करना पड़ेगा तो ऐसी स्थिति में आप क्रेता मय वारिसान के अनुरोध व खर्च से वैसा लिखने व करने को तैयार रहेंगें।

ATTESTED
NOTARY (REGD NO. 25/04) GOVT OF JHARKHAND (INDIA)

अतएव आज तारीख हम बिक्रेता स्वेच्छा से मन व शरीर की स्वस्थता में रहकर बिना किसी के दवाब या बहकावे के कीमत के कुल रूपये निम्न वर्णित रकम प्राप्ति रसीद (Memo of consideration) अनुसार लेकर यह बिक्रय पत्र लिख दिये जो प्रमाण रहे, दिनांक 17.03.2023

अनुसूची सम्पत्ति

थाना नं0 253, जिला देवघर, सबडिविजन, सबरजिष्ट्री व थाना देवघर, सामील मौजा सलौनाटॉड, मुहल्ला विलियम्स टाउन के अन्दर असर्वेक्षित बसौड़ी सत्व की हस्तान्तरणीय जमीन, टाउन प्लान प्लाट न0 278 का अंश, रकवा 1,500 वर्गफीट (एक हजार पॉच सौ वर्गफीट) यानि 3.443 डिसमिल परती जमीन, अन्दर जमाबंदी न0 26 नया अंश, अन्दर हलका देवघर नगरपालिका वार्ड न0 10, देवघर नगर निगम वार्ड न0 पुराना 4, नया वार्ड न0 15, जो संलग्न नक्शा में लाल रंग से रंगा सब प्लाट न0 "3" में दिखाया गया है, मय कुल हक हकूक बिक्री किया, जिसकी चौहद्दी :–

उत्तर :–सब प्लाट न0 "1"
इधर की माप 50'–00" फीट।

दक्षिण :–शुभ्रा विश्वास की जमीन।
इधर की माप 50'–00" फीट।

पुरब :–म्युनिसिपल रोड।
इधर की माप 30'–00" फीट।

पश्चिम :–सब प्लाट न0 "4"
इधर की माप 30'–00" फीट।

घोषणा :–उक्त सम्पत्ति सम्पत्ति अन्य सड़क से सटे है जो आवासीय है तथा लीज से मुक्त है, निर्धारित मूल्यांकन के अनुसार स्टाम्प दिया गया है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सरकारी भूमि (केशरे हिन्द भूमि/गैरमजरूआ आम भूमि/गैरमजरूआ खास भूमि/बन भूमि/जंगल आदि/विभिन्न विभागों के अर्जित/हस्तान्तरित तथा अन्य श्रेणी की सरकारी भूमि आदि) के अर्न्तगत नहीं है। उक्त बिक्रीत सम्पत्ति गोचर, भूहदबन्दी, आदिवासी खाते की नहीं है व कब्रिस्तान, दरगाह या अन्य धार्मिक स्थल की नहीं है तथा चारागाह के अर्न्तगत भी नहीं है।

ATTESTED
REGD NO. 225/04

उक्त बिक्रीत सम्पत्ति सी. बी. आई जॉच के दायरे से बाहर है तथा निबंधन के लिये किसी तरह का रोक नहीं है। यदि उक्त कथन में कोई विसंगति पायी जाती है तो विधि संगत कानूनी कार्रवाही के भागी होवेंगें।

गवाहान

Pramod Kumar
S/o. Hari Narayadav
Barmasia Deoghar

(2) B. Shyam Kant Narma
Baidhyanath Lane
B. Deoghar

ATTESTED
8/24/8/23
...TARY (REGD No. 225/04
... OF JHARKHAND
...(INDIA)

रकम प्राप्ति रसीद

1.Cheque No-000006 dt. 16.12.2022 B.O.I. Deoghar of Rs.----------5,00,000/-
2.Cheque No-000007 dt. 16.12.2022 B.O.I. Deoghar of Rs.----------5,00,000/-
3.Cheque No-000010 dt. 23.01.2023 B.O.I. Deoghar of Rs.---------10,00,000/-
4.Cheque No-000011 dt. 23.01.2023 B.O.I. Deoghar of Rs.---------10,00,000/-
5.Cheque No-000015 dt. 08.02.2023 B.O.I. Deoghar of Rs.----------7,50,000/-
6.Cheque No-000016 dt. 08.02.2023 B.O.I. Deoghar of Rs.----------7,50,000/-

Total----------45,00,000/--

Chanda Singh

ATTESTED
8.7.8.23
NOTARY (REGD No. 225/04.
GOVT. OF JHARKHAND
DIST. DEOGHAR (INDIA)

बिक्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान–

ATTESTED
NOTARY (REGD No. 225/04
GOVT OF JHARKHAND
DIST. DEOGHAR (INDIA)

Chandra Singh

क्रेता का छायाचित्र, हस्ताक्षर व टीप निशान–

Attested By
M.K.J.
Adv.

Amit Kumar

दस्तावेज पढ़कर फरीकैन कों सुना व समझा दिया तथा प्रमाणित किया जाता है कि प्रत्येक व्यक्ति जिनका छायाचित्र इस दस्तावेज में लगा है, के बॉये हाथ के अंगुलियों के निशान मेरे द्वारा लिये गये हैं, मधुकर कुमार जायसवाल
अधिवक्ता/डीड रायटर देवघर, दिनांक 17.02.2023

ATTESTED
NOTARY (REGD NO. 225/04,
OF JHARKHAND

PLAN OF LAND UNDER MOUZA:- SALONATANR NO- 253 WITHIN DEOGHAR NAGAR NIGAM WARD NO- 15 JAMABANDI NO- 26 NAYA (ANSH) PART OF T. P. PLOT NO- 278 SUB PLOT NO- 3 AREA:-1500sqft. SHOWN IN RED COLOUR BELONGS TO SRI PAPPU SINGH S/O LATE HARI MOHAN SINGH & Smt. CHANDA SINGH W/O SRI PAPPU SINGH & NOW SOLD TO AMIT KUMAR S/O LALIT KUMAR ROY OF VILL- SINGHJORI, P.O- PUNASI, P.S- JASIDIH, DIST- DEOGHAR, JHARKHAND.

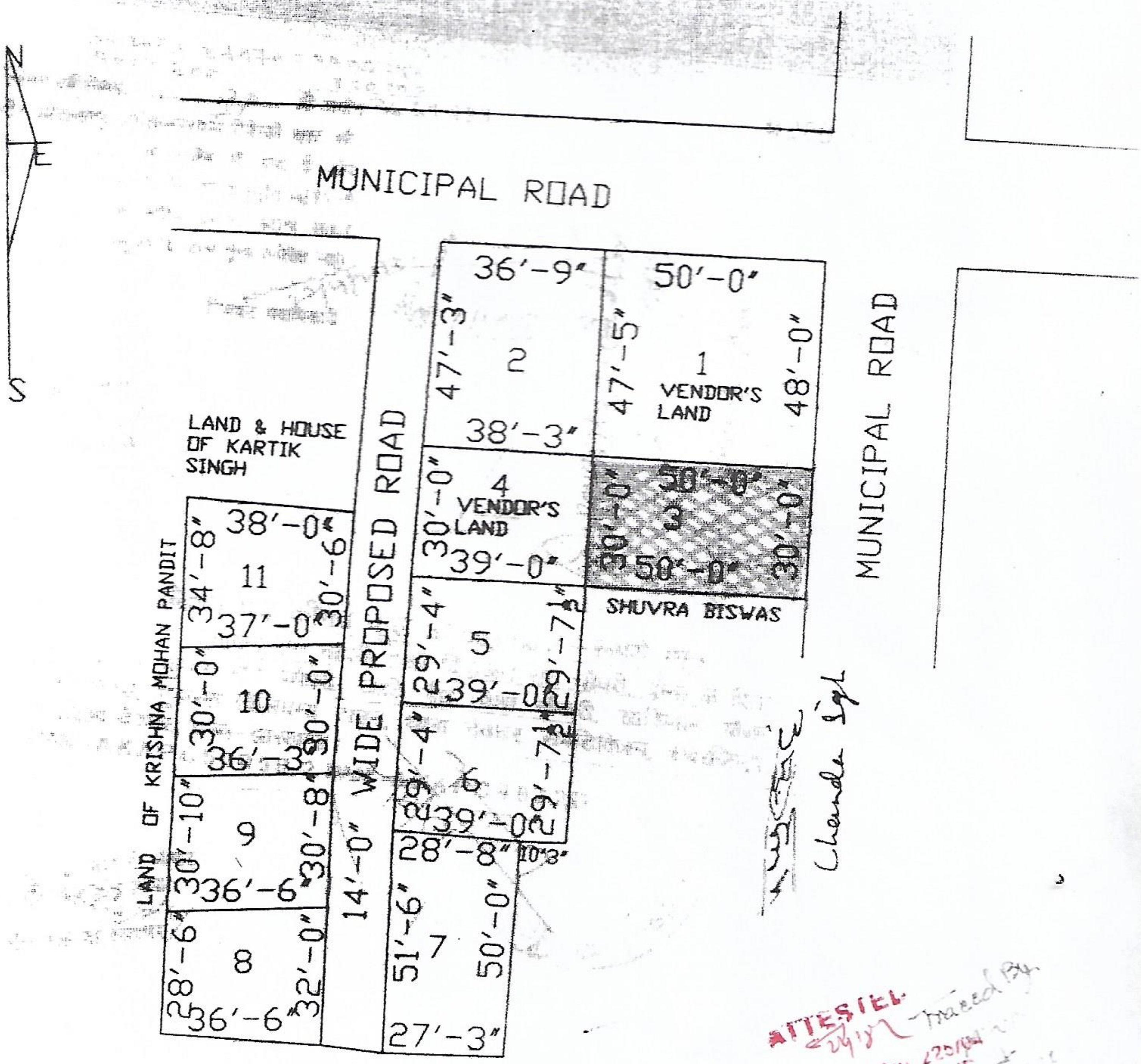

ATTESTED
Traced By